अनुदान संख्या 60 – श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 60 - MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	7677,75,00	9740,83,00	9285,96,44	-454,86,56
पूरक	Supplementary	2063,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				40,78,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		22,25,00	5,26,90	-16,98,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				13,50,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹45486.56 लाख) दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹206308.00 लाख के पूरक अनुदानों का 22 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹45486.56 lakhs) constituted 22 percent of supplementary grants of ₹206308.00 lakhs obtained in December, 2018 and February, 2019 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	Major Head "2230" Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	682799.00	961312.00	920151.70	-41160.30
पू.	S.	185674.00			
पु.	R.	92839.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	74115.00			
पू.	S.	20634.00	..	..	..
पु.	R.	-94749.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2650.00	748.00	746.60	-1.40
पु.	R.	-1902.00			

(I) ₹96446.00 लाख का प्रावधान (₹20634.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) चौबीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹93631.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹96446.00 lakhs (including supplementary grant of ₹20634.00 lakhs) remained wholly unutilized under twenty four heads; of these ₹93631.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹820.00 लाख – असंगठित कामगारों को विभिन्न लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आधार से जुड़े आईटी आधारित प्लेटफार्म को अंतिम रूप न दिए जाने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।

(A) Major Head "2230" - "Labour - Tribal Area Sub-Plan - Social Security Schemes" - ₹820.00 lakhs - due to non-finalization of Aadhar seeded IT based platform for delivery of various public services to unorganized workers, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "श्रम – बाल/महिला श्रमिकों के कार्य करने की स्थिति में सुधार – बाल श्रम प्रकोष्ठ" – ₹1100.00 लाख;

(ख) "श्रम – शिक्षा – कामगारों को शिक्षा के लिए केंद्रीय बोर्ड को अनुदान" – ₹900.00 लाख;

(B) Major Head "2552" -

(a) "Labour - Improvement in Working Condition of Child/Women Labour - Child Labour Cell" - ₹1100.00 lakhs;

(b) "Labour - Education - Grants to Central Board for Worker's Education" - ₹900.00 lakhs.

(ग) "रोजगार सेवाएं – अनुसंधान सर्वेक्षण और सांख्यिकी – रोजगार संवर्द्धन स्कीम" – ₹38394.00 लाख (₹20634.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(घ) "श्रम – श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" –

(i) "सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹1000.00 लाख;

(ii) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" – ₹49000.00 लाख;

(iii) "असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन–एवं–जीवन बीमा स्कीम" – ₹1770.00 लाख; और

(ङ) "श्रमिक सामान्य श्रम कल्याण – श्रमिक कल्याण स्कीमें" – ₹647.00 लाख;

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तीर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं / स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2230" – "रोजगार सेवा – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – रोजगार संवर्द्धन स्कीम" के अंतर्गत – ₹14317.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹16806.00 का पूरक अनुदान प्राप्त करक बढ़ाकर ₹31123.00 लाख किया गया जो, तथापि, खरीद प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन कम संख्या में दिए जाने के कारण ₹902.82 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(का) "औद्योगिक संबंध – अन्य मदें" – ₹574.08 लाख की बचत (₹8665.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत बिलों की प्राप्ति न होने, कम दौरे किए जाने, कम संख्या में व्यावसायिकों को भाड़े पर लिए जाने,

(c) "Employment Services - Research Survey and Statistics - Employment Promotion Scheme" - ₹38394.00 lakhs (including supplementary grant of ₹20634.00 lakhs);

(d) "Labour - Social Security for Labour" -

(i) "Social Security Schemes" - ₹1000.00 lakhs;

(ii) "Employees' Pension Scheme, 1995" - ₹49000.00 lakhs;

(iii) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹1770.00 lakhs; and

(e) "Labour General Labour Welfare - Labour Welfare Schemes" - ₹647.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2230" - "Employment Service - Tribal Area Sub-Plan - Employment Promotion Scheme" - the original provision of ₹14317.00 lakhs was augmented to ₹31123.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹16806.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹902.82 lakhs - due to non-materialisation of purchase proposals and less number of advertisement in print and electronic media.

(III) Under Major Head "2230" - "Labour" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Industrial Relations - Other Items" - saving of ₹574.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8665.00 lakhs) was due to non-receipt of leave travel concession bills, less tours undertaken, hiring

किराया दावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कम संख्या में विज्ञापन दिए जाने के कारण हुई।

of less number of professionals, non-finalisation of rent claims and less number of advertisement.

(खा) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा – सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹1888.58 लाख की बचत (₹6560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईटी आधारित तैयारी, असंगठित कामगारों को विभिन्न जनसेवाएं देने के लिए आधार सम्बद्ध प्लेटफार्म तैयार करने में विलंब होने, संविदा/निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(B) "Social Security for Labour - Social Security Schemes" - saving of ₹1888.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6560.00 lakhs) was due to delay in preparation of IT based, Aadhar linked platform for delivery of various public services to unorganized workers, delay in finalization of contract/tender, non-receipt of proposals, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(गा) "बाल/महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार – स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना तथा बंधुवा मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति" – ₹1383.67 लाख की बचत (₹7872.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(C) "Improvement in Working Conditions of Child/Women Labour - National Child Labour Project including grants in aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹1383.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7872.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balance of previous years.

(घा) "शिक्षा" – "केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान" – ₹555.00 लाख की बचत (₹5904.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलंब होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(D) "Education - Grants to Central Board for Worker's Education" - saving of ₹555.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5904.00 lakhs) was due to delay in implementation of 7th Central Pay Commission recommendations, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(ङ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "अन्य मदें" – ₹912.20 लाख की बचत (₹1411.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिक, विधिक तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम दावे प्राप्त होने और कम संख्या में एजेंसियों को भाड़े पर लिए जाने के कारण हुई।

(a) "Other Items"- saving of ₹912.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1411.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards professional, legal and other establishment related expenses and hiring of less number of agencies.

(ख) "सामाजिक सुरक्षा स्कीमें" – ₹1246.00 लाख की

(b) "Social Security Schemes" - saving of

बचत (₹1620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) असंगठित कामगारों को विभिन्न जन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आधार से जुड़े आईटी आधारित प्लेटफार्म को अंतिम रूप न दिए जाने, उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

₹1246.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1620.00 lakhs) was due to non-finalisation of Aadhar Seeded IT based platform for delivery of various public services to unorganised workers, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹1828.36 लाख की बचत (₹1930.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Employment Generation Programmes" - saving of ₹1828.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1930.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous years.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹785.12 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत तथा 61 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads saving of ₹785.12 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 16 percent and 61 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹51962.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि मुख्य शीर्ष "2230" – "रोजगार सेवाएं" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹103829.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹51962.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹103829.00 lakhs under Major Head "2230" - "Employment Services" - under the following heads:-

(का) "रोजगार सेवाएं – रोजगार संवर्द्धन स्कीम" – ₹49965.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹10418.34 लाख था।

(A) "Employment Services - Employment Promotion Scheme" - ₹49965.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10418.34 lakhs.

(खा) "अनूसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – रोजगार संवर्द्धन स्कीम" – ₹1997.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1839.19 लाख था।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Employment Promotion Scheme"- ₹1997.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1839.19 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रमिक – श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई थीं:–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2230" - "Labour - Social Security for Labour" - under the following heads:-

(का) "कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" – ₹49000.00 लाख

(A) "Employees' Pension Scheme, 1995" -

का अधिक व्यय (₹321440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "असम के बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन–एवं–जीवन बीमा स्कीम" – ₹1384.00 लाख का अधिक व्यय (₹436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सिक्किम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹293.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 337 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

excess of ₹49000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹321440.00 lakhs); and

(B) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - excess of ₹1384.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹436.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of ₹293.00 lakhs occurred constituting 337 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	2210.00	865.00	522.58	-342.42
पु.	R.	-1345.00			

(I) "श्रम – अन्य मदें" के अंतर्गत – ₹940.10 लाख की बचत (₹1038.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹383.72 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 78 प्रतिशत थी।

(I) Under "Labour - Other Items" - saving of ₹940.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1038.00 lakhs) was due to delay in finalization of tender for construction work.

(II) Under one head saving of ₹383.72 lakhs occurred constituting 78 percent of the sanctioned provision.

4. बीड़ी कामगार कल्याण निधिः—

यह निधि बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से व्यक्तियों को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्तपोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 01 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया था।

वर्ष 2018—2019 के लिए निधि का लेखा निम्न प्रकार थाः—

4. ***Beedi Workers Welfare Fund:-***

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2018-19 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	:	-210,70,63
प्राप्तियां	Receipts	:	0
अदायगियां	Payments	:	0
अंतशेष	Closing Balance	:	-210,70,63